East African Scholars Journal of Education, Humanities and Literature
Abbreviated Key Title: East African Scholars J Edu Humanit Lit
ISSN 2617-443X (Print) | ISSN 2617-7250 (Online) |
Published By East African Scholars Publisher, Kenya

OPEN ACCESS

DOI: 10.36349/easjehl.2018.v01i03.010 Volume-1 | Issue-3 | Dec-2018 |

Research Article

राष्ट्रीय राजनीति और सामाजिक विकृतियाँ ।

ज़िले सिंह चौधरी

राजनीति विज्ञान विभाग, सत्यवती कालेज सांध्य, दिल्ली विश्वविद्यालय, अशोक विहार, फेज-III, दिल्ली-110052

*Corresponding Author
ज़िले सिंह चौधरी

उदार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले देशों में शासन के अस्तित्व का आधार सार्वजानिक हित की अभिवृद्धि के लिए माना जाता है। सार्वजनिक हित की अभिवृद्धि के लिए राज्य कतिपय संस्थाओं का निर्माण करता है। इन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों का उद्देश्य सर्वजन हिताय सवजन सुखाय च होता है। वे कर्तव्य भावना से अभिप्रेरित होकर जनता की सेवा को अपना अभीष्ट बना लेते हैं। राजकीय सेवा में कार्यरत ऐसे ही लोक सेवकों से उदार-लोकतंत्र शासन के मूल्य सुदृढ़ होते हैं। किंतु पिछली शताब्दी में राज्य और लोक प्रशासन का सभी देशों में जो विशाल ढांचा खड़ा किया गया, उसमें प्रशासन तथा नौकरशाही तो थी लेकिन गवर्नेस कहीं भी दिखाई नहीं देता। हाल के वर्षों तक गवर्नेस कार्य सरकार का विशेषाधिकार माना जाता था, क्योंकि उसके पास संप्रभु शक्ति थी। बाद में व्यापारिक निगमों की दुनिया में भी कॉरपोरेट गवर्नेस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा।

हमारे संविधान में वर्णित आर्थिक, सामाजिक एवं राजनितिक स्वतंत्रता एवं न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शासन एवं सु-शासन का अत्यधिक एवं विशिष्ट उत्तरदायित्व है। भारत में प्रशासनिक सुधार के इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन के बुनियादी ढांचे और कार्य करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर नहीं आ पाया है। इसके लिए पुरातन एवं अनावश्यक घिसी-पिटी प्रक्रियाओं को बदलना होगा, नौकरशाही की मनोवृत्तियों को बदलकर उसे उद्देश्यपरक बनाना होगा तथा साथ ही समग्र एवं समावेशी प्रयत्न करने होंगे।

भारत,राज्यों का संघ,एक प्रभुसतासंपन्न, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है, जिसमें शासन की संसदीय व्यवस्था है। भारतीय राजव्यवस्था संविधान के संदर्भ में शासित होती है, जिसे 26 नवम्बर, 1949को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया और 26 जनवरी, 1950की प्रवृत्त किया गया। अमेरिका एवं ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था की तरह, जो सदियों से अपने वर्तमान रूप में मौजूद है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ब्रिटेन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति और 1950 में भारत के संविधान की उद्घोषणा के पश्चात् स्थापित हुई।

जनांकिकीय एवं भौगोलिक रूप से, भारत बेहद विशाल एवं विविधताओं वाला देश है। यहां शासन की संघीय व्यवस्था है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, यहां 28 राज्यों एवं सात संघ शासित प्रदेशों में सरकारें एवं प्रशासनिक व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था के बावजूद अधिकतर शक्तियां केंद्र सरकार की सौंपी गई हैं। भारत के संविधान में, जापान के संविधान के विपरीत, जहाँ कोई संविधान संशोधन नहीं हुआ है, अत्यधिक संविधान संशोधन किए गए हैं। अभी तक 100 संविधान संशोधन) जून 2015 तक (किए जा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान की कई विशेषताएं हैं जैसे, लिखित एवं विशाल संविधान, संसदीय प्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, संसदीय शासन प्रणाली, नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, विश्व के प्रमुख संविधानों का प्रभाव, ऐकिकता की ओर उन्मुख परिसंघ प्रणाली, सञ्जनिक मताधिकार, धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका, इत्यादि। एक राजनितिक व्यवस्था आखिरकार संस्थाओं, हित समूहों) राजनीतिक दल, व्यापार संघ, मजदूर संघ,लॉबी समूह (का सम्मुचय होती है तथा उन संस्थाओं के मध्य आयाम प्रदान करती है।

भारत में विधायिका विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था है, दूसरी और कार्यपालिका को कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है और न्यायपालिका विधि प्रवर्तन एवं संविधान समीक्षा का कार्य करती है। इस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति पृथक्करण की स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था न होते हुए भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कार्यशील है, हालांकि इसकी अमेरिका जितनी कठोर व्यवस्था नहीं है। शासन में जन सहभागिता बढ़ाने और बेहतर शासन के लिए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज व्यवस्था के

Quick Response Code

Journal homepage:
http://www.easpublisher.com/easjehl/

Article History
Received: 13.11.2018
Accepted: 05.12.2018
Published: 28.12.2018

Copyright @ 2018: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution license which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non commercial use (NonCommercial, or CC-BY-NC) provided the original author and source are credited.

माध्यम से अपनाया गया है। संविधान संशोधन78) वें एवं74 वें (के माध्यम से इसे सशक्त किया गया है। बेहतर शासन एवं पारदर्शिता तथा जवाबदेही के लिए सूचना का अधिकार, मनरेगा एवं ई-शासन जैसे क्रांतिकारी अधिनियमों एवं युक्तियों की व्यवस्था की गई है।

भारत का संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता एवं समानता की वकालत एवं प्रावधान करता है। भारत का संविधान देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति को ध्यान में रखता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, राष्ट्रपति को कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् में है। इसी प्रकार राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। संविधान विधायी शक्ति को संसद एवं राज्य विधानमंडलों में बांटता है। संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संसद संविधान के आधारिक लक्षणों में संशोधन नहीं कर सकती।

राजनीति में हिस्सा लेने का आधार धर्म नहीं है और न ही धर्म के आधार पर शासन में ही कोई भेदभाव किया जाता है। भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह द्विदलीय नहीं, वरन् बहुदलीय पद्धति है। सबसे बढ़कर भारतीय राजव्यवस्था में शासन सूत्र जनता के हाथ में है। बहुमत के आधार पर चुने हुए जनता के प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति पर किसी वर्ग विशेष का अधिकार नहीं है। वयस्क मताधिकार का सिद्धांत स्वीकार किया गया है और सभी लोगों को आत्मविकास के समान अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। अतः भारत में राजनीतिक व्यवस्था खुली है।

भारत में अन्य देशों की तुलना में दुनिया की सबसे ज्यादा किशोर आबादी जो वर्तमान में 253 मिलियन है और यहाँ हर पांचवां व्यक्ति 10 से 19 साल के बीच है। गौरतलब है कि भारत को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से इस बात का लाभ मिल सकता है, यदि यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद किशोरआबादी सुरक्षित, स्वस्थ, शिक्षित हो और देश के विकास को गति देने के लिए सूचना और कौशल से परिपूर्ण हो । हालांकि, किशोर लड़कियां विशेष रूप से खराब पोषण, बाल-विवाह और कम उम्र में बच्चे पैदा करने की वजह से कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनकी एक सशक्त एवंस्वस्थ जीवन जीने की क्षमता प्रभावित होती है,फलस्वरूप आने वाली पीढ़ी भी प्रभावित होती हैं ।

लड़कियों के सन्दर्भ में भारत में बाल विवाह का आंकड़ा भी सबसे अधिक है। दक्षिण एशियाके आठ देशों)बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान के बाद (में भारत बाल विवाह के प्रचलन के मामले में चौथे स्थान पर है। 54 प्रतिशत यानी आधे से अधिक एवं 30 प्रतिशत लड़कों की तुलना में किशोरियां एनीमिया) खून की कमी (से ग्रसित होती हैं, साथ ही बॉडी मास इंडेक्स में कमी,बाल विवाह और किशोर अवस्था में गर्भधारण की चुनौतियां की वजह से किशोरियों की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। भारत महिलाओं के ऊपर हिंसा के मामले में भी अग्रणी देश है जहाँ 90-60प्रतिशत लड़कियां सार्वजनिक स्थानों /स्थलों पर यौन उत्पीड़न / हिंसा की शिकार होती हैं।देश के विकास दर को यहाँ घटित होने वाली लगभग सभी आपदाएं जैसे कि बाढ़ , सूखा, भूकंप, शरणार्थियों का आगमन तथा जलवायु परिवर्तन आदि प्रभावित करती हैं।

भारत में दुनिया की सबसे बड़ी किशोर आबादी है जो कि लगभग 253 मिलियन के करीब है, और यहाँ हर पांचवां व्यक्ति 10 से 19 साल की उम्र के बीच का है। यह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूपसे भारत के लिए बहुत फायदे की बात है, अगर यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद किशोर-किशोरी सुरक्षित, स्वस्थ एवं शिक्षित हों, और सभी सूचना एवं जीवन कौशल में दक्ष हो कर देश के विकास में सहयोग करें । किशोर और किशोरियों को उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों की जानकारी का अभाव है और उन्हें सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ज़रूरी क्षमताओं को विकसित करने का पूरा मौका नहीं मिल रहा है | खासकर किशोरियां रूढ़िवादी सामाजिक मानदंडों के कारण काफी संवेदनशील हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें उन्मुक्त स्वतंत्र रूप से घूमने, पढ़ने लिखने, काम करने, सामाजिक रिश्तों, शादी करने आदि के निर्णय लेने की आजादी छिन जाती है ।

घरेलू जिम्मेदारियों, शादी, बाल श्रम,रोज़गार के सम्बन्ध में शिक्षा की सीमित प्रासंगिकता, स्कूलों की दूरी, स्कूलों में शौचालय का न होना,आदि की वजह से 43 प्रतिशत लड़कियों को समय से पहले ही स्कूल छोड़ना पड़ता है ।कई देशों में मासिक धर्मके कारण लड़कियों का जीवन अकल्पनीयरूप से अस्तव्यस्त हो जाता है । भारत लगभग 42 प्रतिशत लड़कियां डिस्पोजेबल सेनेटरी नैपकिन की जगह कपड़े का उपयोग करती हैं। समाज में व्यापक रूप से प्रचलित बाल विवाह लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्पष्ट प्रमाण प्रदान करता है। अनुमान के मुताबिक मुताबिक भारत में 18 वर्ष से कम आयु की1.5 मिलियन लड़कियों की शादी प्रत्येक वर्षहोती है, जिसके कारण आज विश्व में सबसे ज्यादा बाल-विवाह भारत में होते हैं जो कि पूरे विश्व में होने वाले बाल-विवाह का एक तिहाई है ।

किशोर अवस्था में गर्भधारण करने वाली लड़कियों में मातृत्व एवं नवजात शिशुओं से सम्बंधित बीमारी एवं उनसे होने वाली मृत्यु का ख़तरा अधिक रहता है ।ग्रामीण क्षेत्रों में 19-15वर्ष की आयु की लगभग 9 प्रतिशत किशोरियाँ व शहरी क्षेत्रों में लगभग 5 प्रतिशत किशोरावस्था में ही बच्चे पैदा कर रही हैं । किशोरावस्था की माताओं के बच्चों में बौनेपन का खतरा अधिक रहता है । इसकी वजह से बच्चों में दिमागी और शारीरिक विकृति देखने को मिलती है और युवा अवस्था में उनकी उत्पादकता प्रभावित होती है ।किशोर-किशोरियों की क्षमताओं का समुचित उपयोग कर पूरी परिस्थितियों को बदला जा सकता है जिसके लिए उनकी सही उम्र में शादी, किशोरियों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था, कौशल विकास और कार्य करने और बेहतर नागरिक बनने के मौके उपलब्ध कराना ज़रूरी है ।

भारत के लोकतंत्र की कथा को तीन चरणों में बांटकर देखा जा सकता है 1947 :और 1989 के बीच, एक दल का लगभग लगातार शासन था और आधिपत्य कांग्रेस का था। 1990 के बाद से भारत की राजनीति विखंडित और कई धड़ों में बंटी। इस दौर में हमने जाति, उप-जाति, भाषाई और अन्य सामुदायिक पहचानों के आधार पर क्षेत्रीय दलों का उदय देखा। यह चरण अभी भी जारी है लेकिन इस मुकाम पर अगले चरण का आरंभ भी देखा जा सकता है। अगले 10 से20 वर्षों में सबसे सफल राजनेता और दल वे होंगे जो नए उभरते समूह मसलन महिला-मतदाता, युवा मतदाता) लगभग 18 से 35वर्ष की आयु के बीच (और' मध्यम वर्गीय 'हैसियत और जीवन शैली के आकांक्षी मतदाताओं की बढ़ती तादाद को अपनी तरफ खींच सकें। बहरहाल, यह तीसरा चरण भारत की क्षेत्रीकृत राजनीति के परिप्रेक्ष्य में राज्यों के बीच ढ़ेर सारी विशिष्टताओं और विविधताओं के साथ प्रकट होगा।

आज की हमारी राजनीति आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है । नैतिकता का आग्रह सिर्फ एक फैशन बनकर रह गया है । भ्रष्टाचार हमारे नैतिक जीवन मूल्यों पर सबसे बड़ा प्रहार है। भ्रष्टाचार से जुड़े लोग अपने स्वार्थ में अंधे होकर राष्ट्र का नाम बदनाम कर रहे हैं। यह एक संक्रामक रोग की तरह है। समाज में विभिन्न स्तरों पर फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर दंड-व्यवस्था की जानी चाहिए। आज भ्रष्टाचार की स्थिति यह है कि व्यक्ति रिश्वत के मामले में पकड़ा जाता है और रिश्वत देकर ही छूट जाता है। जब तक इस अपराध के लिए को कड़ा दंड नही दिया जाएगा तब तक यह बीमारी दीमक की तरह पूरे देश को खा जाएगी। लोगों को स्वयं में ईमानदारी विकसित करना होगी। आने वाली पीढ़ी तक सुआचरण के फायदे पहुंचाने होंगे।

दुनियाभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ही 9 दिसंबर को 'अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 31 अक्टूबर 2003 को एक प्रस्ताव पारित कर 'अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस' मनाए जाने की घोषणा की। भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्र एवं दुनिया का इस जंग में शामिल होना एक शुभ घटना कही जा सकती है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज किसी एक देश की नहीं, बल्कि संपूर्ण विश्व की समस्या है।असमानता, आर्थिक, सामाजिक या सम्मान, पद- प्रतिष्ठा के कारण भी व्यक्ति अपने आपको भ्रष्ट बना लेता है। हीनता और ईर्ष्या की भावना से शिकार हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार को अपनाने के लिए विवश हो जाता है। साथ ही रिश्वतखोरी, भाई-भतीजावाद आदि भी भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं।

इस तरह हम देखते हैं की लालफ़ीता शाही, भाई भतीजावाद, अवसरवादिता, चारित्रिक पतन, हताशा, निराशा, कुंठा, असुरक्षा की भावना, सत्ता की अदम्य लालसा और भ्रष्टाचार के रास्ते पर इस देश की राजनीति सरपट दौड़ रही है । इसका परिणाम निश्चित ही भयानक होगा । आने वाला समय संक्रमण और नकारात्मक्ता का दिखाई पड़ रहा है । हमें सचेत होने की ज़रूरत है । अपने समय का आख्यान बनकर भ्रष्ट और अनैतिक व्यवस्था के प्रति विरोध का स्वर बुलंद करना जरूरी है ।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. डॉ .मदनगोपाल गुप्त – भारतीय संस्कृति
2. चौरे का दिया, प्रतिबद्धता की त्रासदी – डॉ विश्वनाथ प्रसाद
3. Ambedkar, B.R. 1948, Constituent Assembly Debates, VII.
4. Anson, W. R. Law and Custom of the Constitution. Oxford, 1935
5. Bansal, R., & Gnanadev, N. (2015). Institutionalization of Social Audit Practices in MGNREGAs in Himachal Pradesh. *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal*, *1*(3), 87–95. https://doi.org/10.48001/veethika.2015.01.03.010
6. Barns, M. The Indian Press, London, 1940
7. Barth, A. The Government and the Press. Minneapolis 1953
8. Gupta, S., & Mittal, P. (2015). Base Erosion and Profit Shifting: The New Framework of International Taxation. *Journal of Business Management and Information Systems*, *2*(2), 108–114. https://doi.org/10.48001/jbmis.2015.0202009
9. Khuntia, J., & Bajaj, R. (2015). आज के युग में कौटिल्य अर्थशास्त्र की प्रासंगिकता. *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal*, *1*(1), 102–106. https://doi.org/10.48001/veethika.2015.01.01.015
10. Khuntia, J., & Bajaj, R. (2016). Bhartiya Arthvyavastha Mein Gandhiwadi Arthshastra Ki Bhumika. *VEETHIKA-An International Interdisciplinary Research Journal*, *2*(1), 84–90. https://doi.org/10.48001/veethika.2016.02.01.017
11. O'Connor, J. J. Philosophical Concept of Communication, Washington, 1953
12. Pakistan Press Commission, Report, Karachi, 1959
13. Press Commission of India. Report, Part I, New Delhi, 1954
14. Press Laws Enquiry Committee, Report, New Delhi
15. Prosser, W. L. A Handbook of the Law of Torts, 2nd Ed. St Paul, Minn. (West),1955
16. Srivastava G.N. 1970, The Language Controversy and mother tongue education, OUP.